

13.07.2015 आवेदिका अनुपस्थित।  
अनावेदक अनुपस्थित।

प्रकरण में आवेदिका पक्ष को बार-बार पुकार लगाने पर आवेदिका पक्ष उपस्थित नहीं है और न ही उनकी ओर से कोई अधिवक्ता, विधिक प्रतिनिधि उपस्थित है। अतः प्रकरण में आवेदिका पक्ष की अदम पैरवी में आवेदिका द्वारा पेश आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-125 दण्ड प्रक्रिया संहिता खारिज किया जाता है।

प्रकरण का परिणाम पंजी में दर्ज कर नियत अवधि में अभिलेखागार भेजा जावे।

(सिराज अली)  
न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)